कार्यालय अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हाथरस।

पत्रांक 4609 / 4B　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 3/11/15

सेवा में,

जिलापूर्ति अधिकारी,
हाथरस।

विषय:–मै0 एस्सार ऑयल लिमिटेड A–5 सेक्टर – 3 नोयडा के टैरीटरी सेल्स मैनेजर के द्वारा पीलीभीत भरतपुर मार्ग (राज्य मार्ग) के कि0मी0 234 चैनेज (233.155) मौजा नगला शीशम पर खसरा नं0 165, 166 नगला शीशम तहसील व जनपद हाथरस पर न्यू रिटेल आउट लेट स्थापित किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:– आपका पत्रांक 1108 / जि0पू0अ0–एन0ओ0सी0 / 2015 दिनांक 27.03.2015 एवं मुख्य अभियन्ता आ0क्षे0, लो0नि0वि0, आगरा के पत्रांक 14124 / 116सी–आ0क्षे0 / 2015 दि0 14.09.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में मुख्य अभियन्ता आगरा क्षेत्र, आगरा लो0नि0वि0, आगरा के पत्रांक 14124 / 116सी0 –आ0क्षे0 / 2015 दिनांक 14.09.15 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू0 / एन0एच0 / 33023–19 / 99–डी0ओ0III दि0 31.08.2000 एवं पत्रांक आर0डब्ल्यू0 / एन0एच0 33023–19 / 99–डी0ओ0 III दिनांक 25.09.2003 / 17.10.2003 में की गयी शर्तो के अनुसार अनापत्ति प्रमाणपत्र की संस्तुति की जाती है।

1. मैं एस्सार ऑयल लिमिटेड ए–5 सेक्टर–3 नोयडा के टैरेटरी मैनेजर के द्वारा खसरा सं0 165, 166 नगला शीशम तहसील व जनपद हाथरस में पीलीभीत भरतपुर राज्य मार्ग सं0 33 के कि0मी0 234 (चैनेज 233.155) पर सड़क के मध्य से बायीं ओर 22.87मी0 की दूरी के बाद स्थापित किया जायेगा।
   - i　प्रस्तावित निर्माण टाउन एरिया सीमा के अन्दर है।
   - ii　प्रस्तावित स्थल ओपन एग्रीकल्चरल लैण्ड में नहीं है।
   - iii　मार्ग के मध्यबिन्दु से प्रथम रिटेल आउटलेट की दूरी – 31.87मी0 है।
   - iv　मार्ग के मध्य बिन्दु से द्वितीय रिटेल आउटलेट की दूरी 37.87मी0 है।
2. बफर स्टिप के पास हैजेज की ऊँचाई 60मी0 से ऊपर न रखी जाय।
3. मै0 एस्सार ऑयल लिमिटेड – 5 सेक्टर द्वारा प्रस्तावित पेट्राल पम्प की स्थापना संलग्न एनेक्चर I, II, III में वर्णित समस्त शर्तो का पालन करते हुये स्थापित की जायेगी। उनके द्वारा यदि एनेक्चर I, II, III में वर्णित कोई भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो वह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
4. आवेदक को मार्ग के मध्य से 22.87 मीटर की दूरी के बाद 1.00मी0 चौड़ी नाली का निर्माण लो0नि0वि0, की सड़क की बाउन्ड्री पर करना होगा तथा विभागीय अनुबन्ध के बाद पेट्रोल पम्प के प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार पर 1.00मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कराना होगा पेट्रोल पम्प के पानी का उक्त नाले में प्रवाह / बहाव हेतु आवश्यक ओपनिंग / गली ग्रेटिंग का निर्माण कराना होगा जिससे पेट्रोल पम्प का पानी मार्ग की ओर न आ सके, पुलिया / नाली टोप लेवल मार्ग की पटरी के 3 प्रतिशत के ढाल में पटरी से नीचा रखा जायेगा। ताकि मार्ग पर किसी भी दशा में पानी एकत्रित न होने पाये। पेट्रोल पम्प के पानी की निकासी हेतु भी पम्प परिसर से पुलिया / नाली की ओर 2 प्रतिशत का ढाल इस प्रकार किया जायेगा ताकि पम्प परिसर का पानी पुलिया / नाली मे जा सके। ताकि मार्ग पर किसी भी दशा में पानी एकत्रित न रहने पाये।
5. नाली के निर्माण एवं पेट्रोल पम्प के निर्माण से हाथरस देहात पीलीभीत भरतपुर (राज्य मार्ग) मार्ग के यातायात में अवरोध नहीं होना चाहिये।
6. पेट्रोल पम्प का निर्माण इस प्रकार हो कि वर्षा का पानी बह कर मार्ग की ओर आकर मार्ग को क्षतिग्रस्त न करे। इसी प्रकार मार्ग से पेट्रोल पम्प की ओर ढाल देकर निर्माण किया जाये। ताकि पानी के रूकने से अवरोध न हो।

For NAYARA ENERGY LIMITED

Authorised Signatory

पीलीभीत भरतपुर राज्य मार्ग सं0 33 पर मलबा निर्माण सामग्री आदि एकत्रित करना अवैध होगा।
प्रस्तावित स्थल के 100मी0 दोनों ओर कोई रोड क्रासिंग नहीं होनी चाहिये।

9. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई भी विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाणपत्र निरस्त समझा जायेगा।
10. मार्ग की मध्य रेखा से बाउन्ड्रीवॉल की दूरी नक्शे में 22.87मी0 दर्शायी गयी हे जिसे निर्माण के समय यथा संभव रोड साइड लैण्ड कन्ट्रौल एक्ट के 1945 के मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
11. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाय। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0, का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
12. यदि ऑयल कम्पनी नक्शे में प्राविधान से अलग कोई भी निर्माण बिना अनुमति के करती है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
13. एनेक्चर III के बिन्दु 4/14 में वर्णित शर्त के अनुसार एक मुश्त दो लाख रूपये की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा शपथपत्र दिनांक 06.10.15 दिया गया है जिसमें पेट्रोल पम्प स्थापित करने से पूर्व धनराशि अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हाथरस के खाते में जमा करा दूंगा।
14. निर्माण कार्य में यू0पी0 रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के 1945 के मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
15. भविष्य में मार्ग के विस्तार की संभावना है यदि विभाग को चौड़ीकरण हेतु भूमि की आवश्यकता होगी तो ऑयल कम्पनी को विभागीय शर्तो पर भूमि छोड़नी होगी।
16. पेट्रोल पम्प के परिसर में पीने के लिये ठंडा पानी तथा स्वच्छ टॉयलेट की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
17. निर्गत अनुमति की एक प्रति अभिलेख हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।
18. लो0नि0वि0 के अतिरिक्त अन्य विभागों की अनापत्ति प्रमाणपत्र/अनुमति यदि आवश्यक हो तो कम्पनी/आवेदक द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेगी।
19. उपरोक्त शर्तो का पालन न करने की दशा में प्रदत्त स्वीकृति स्वतः ही रद्द मानी जायेगी।

संलग्न – उपरोक्तानुसार प्रकरण दो प्रतियों में।

अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0लो0नि0वि0, हाथरस।

पत्रांक /   दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0, आगरा को उनके पत्रांक सं0 14124/116सी–आ0क्षे0/2015 दि0 14.09.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता अलीगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, अलीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अवर अभियन्ता (प्रा0) लो0नि0वि0, हाथरस को हाथरस को मानचित्र सहित मूल में प्रेषित।

अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0लो0नि0वि0, हाथरस।

For NAYARA ENERGY LIMITED

Authorised Signatory

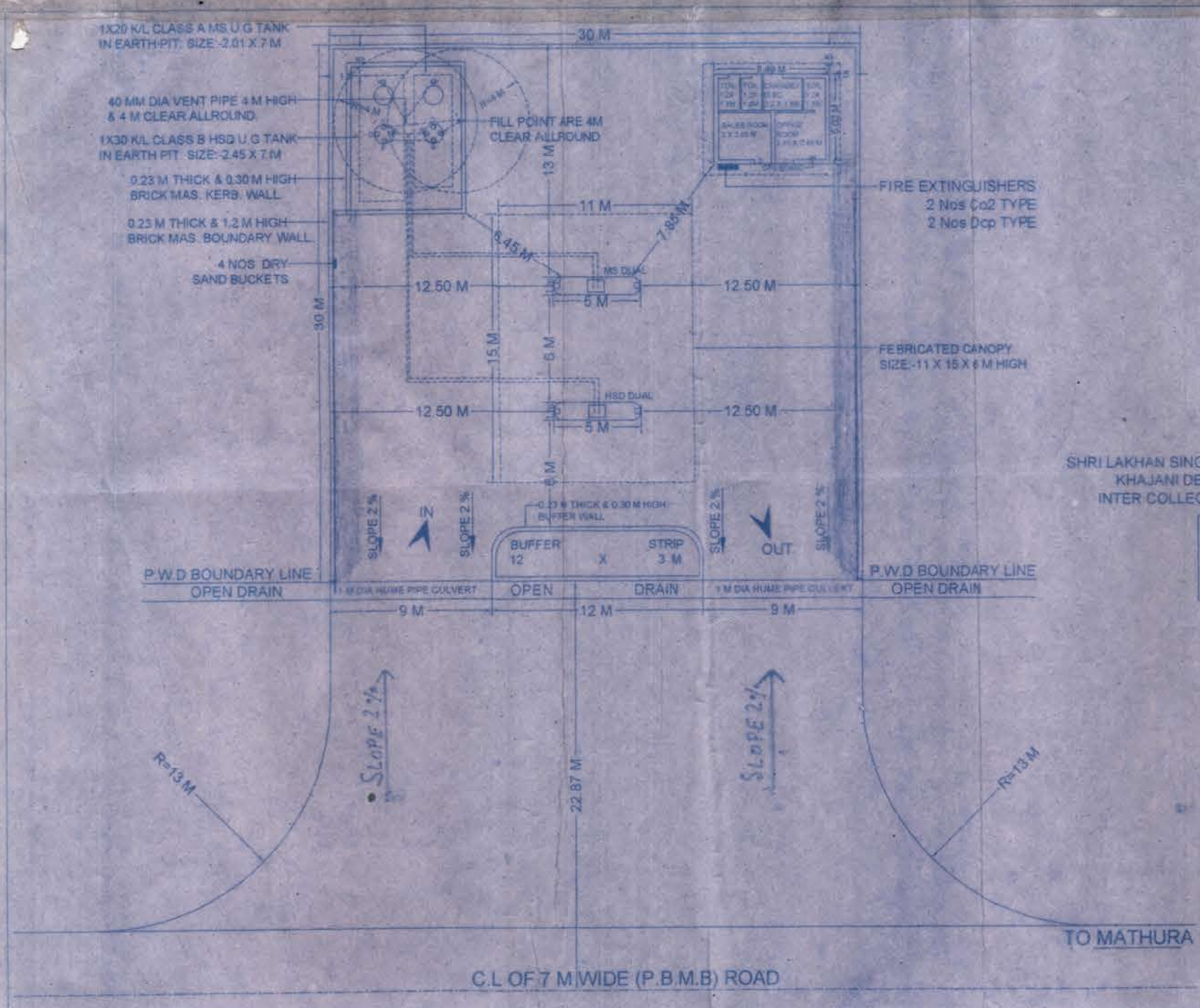

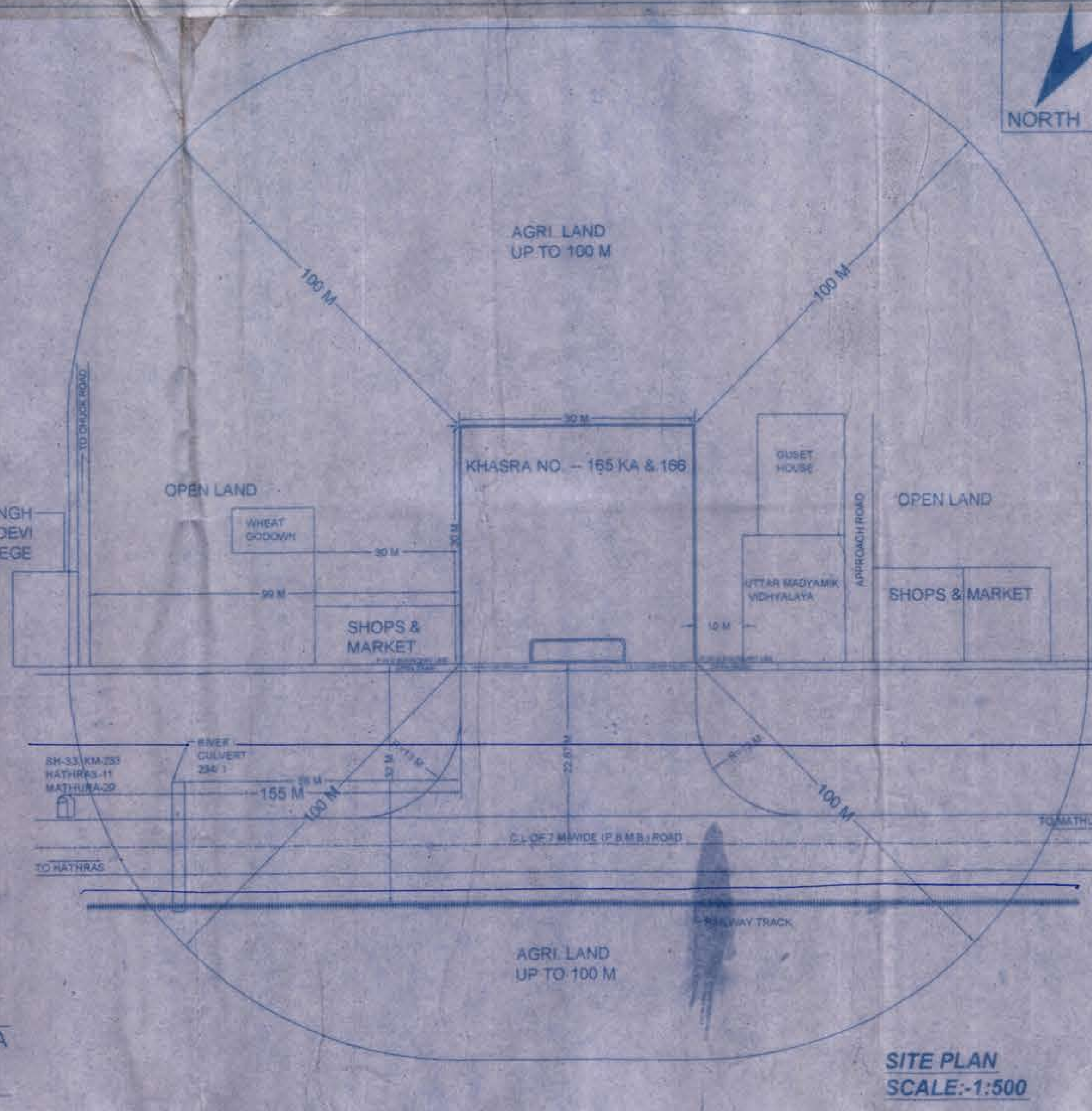

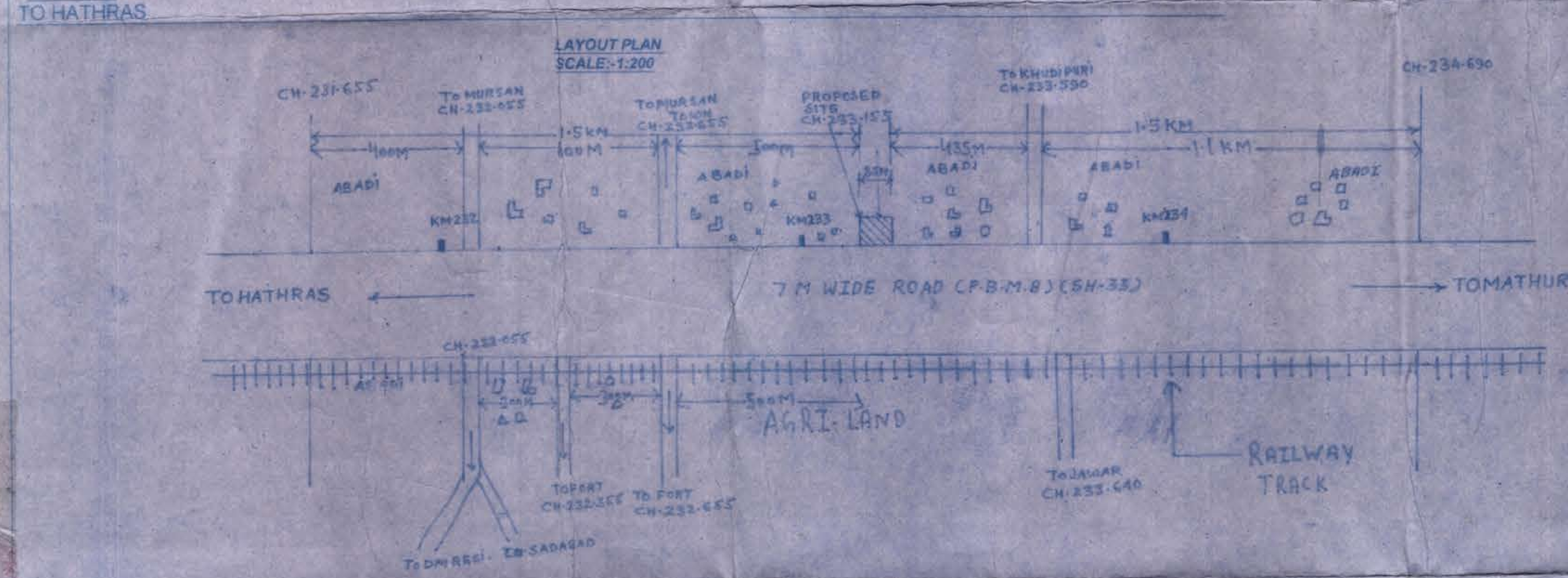

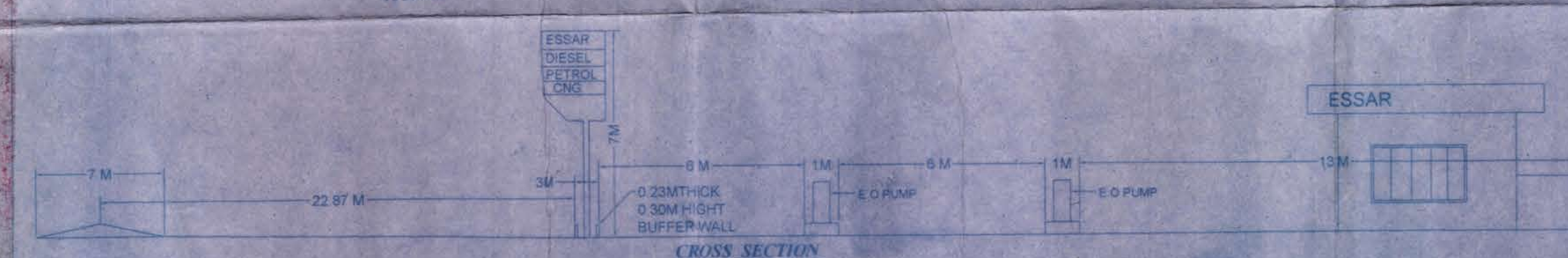

SITE DETAILS	
KHASRA NO	165 KA & 166
VILLAGE	NAGLA SHISHAM
TEHSIL	HATHRAS
POST OFFICE	MURSHAN
PIN CODE	204213
POLICE STN.	MURSHAN
RAILWAY STN.	MURSHAN
DISTRICT	HATHRAS
STATE	U.P

AREA CHART	
TOTAL AREA OF PLOT	900.00 SQM
TOTAL AREA OF BUILDING	19.41 SQM

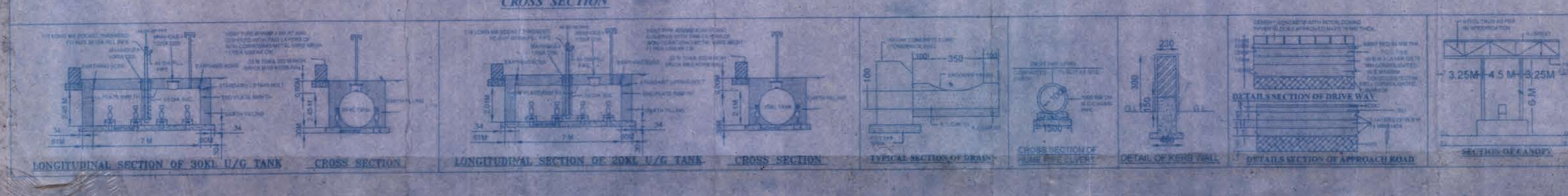

(1) प्रस्तावित निर्माण पीलीभीत भरतपुर राज्य मार्ग के किमी. 234 (चैनेज 233.155) के बायीं ओर पड़ता है

(2) प्रस्तावित निर्माण हाथरस जनपद के मुरसान टाउन एरिया की सीमा के अन्तर्गत है

(3) प्रस्तावित स्थल मुरसान के अरबन क्षेत्र में है,

(4) मार्ग के मध्य बिन्दु से प्रथम रिटेल आउटलेट की दूरी 31.87 मीटर है।

(5) मार्ग के मध्य बिन्दु से द्वितीय रिटेल आउटलेट की दूरी 37.87 मीटर है,

आवेदक को लो०नि०वि० मार्ग की मध्य रेखा से 22.87 मीटर (बाईस मी. सत्तासी) की दूरी के पश्चात् रिटेल आउटलेट स्थापित की अनुमति की संस्तुति निम्न शर्तों के अधीन की जाती है।

(i) प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मीटर स्पान की आर. सी. सी. पुलिया का निर्माण सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार की विशिष्टियों के अनुरूप प्रार्थी द्वारा स्वयं कराया जायेगा

(ii) प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढलान लो०नि०वि० मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई. आर. सी.-13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।

(iii) प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पेवड एरिया का लेविल सड़क के पेटड सतह के मध्य बिन्दु के लेविल से 0.50 मीटर नीचे रखा जाये

(iv) बफर स्ट्रिप के पास हेजेज की ऊँचाई 60 सेमी से ऊपर न रखी जाय।

(v) प्रस्तावित स्थल के 100 मीटर दोनों ओर कोई रोड क्रासिंग नहीं होनी चाहिये

(vi) प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो०नि०वि० मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य से 22.87 मीटर की दूरी से कम पर कोई निर्माण नहीं होना चाहिये।

(vii) यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जायेगा

(viii) प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कराने से पूर्व प्रार्थी को अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० हाथरस से लाइसेन्स डीड एक्जीक्यूट कराना आवश्यक है,

(ix) भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाये इस सम्बन्ध में लो०नि०वि० का कोई उत्तर दायित्व नहीं होगा।

(x) लो०नि०वि० मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुयी तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही उक्त कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा

(xi) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रिटेल आउटलेट पीलीभीत भरतपुर मार्ग के किमी. 234 - चैनेज 233.155 किमी. पर ग्राम नगला शीशम तहसील व जिला हाथरस में प्रस्तावित स्थल पर निर्माण हेतु ही लागू होगा।

उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में प्रदत्त स्वीकृति स्वतः रद्द मानी जायेगी

(डी० डी० शर्मा)

04.09.15

3.9.15

NOTES:-

1. VENT PIPE 4.0 M CLEAR ALLROUND FITTED WITH TWO LAYER OF NON CORRODABLE WIRE GUAGE OF 11 MESH /LINER CM SQUARE.
2. FILL POINT FITTED WITH CAMLOCK COUPLING& AIR TIGHT THREADED BRASS CAP DECANTING FROM TANK LORRY
3. DIP PIPE WITH CAP ASSEMBLY.
4. ALL ELECTRIC ARE FLAMPROOF CONFORING TO IS:2148.
5. ALL THE DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUTWARDLY.
6. NO SEWER OR SURFACE DRIAN WITH IN 6 MTR FORM U.G TANK & D.US
7. PREMISES TO BE USED ONLY FOR STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS.
8. TANK ARE PAINTED WITH TWO LAYER OF HOT BITUMEN OVER TWO COATS OF RED LID PRIMER TO PROTECT AGAINST CORRISION.
9. FEBRICATION OF U.G STORAGE TANK ARE CONFORMING TO IS 10987:1998 AS PER CCOE NAGPUR ORDER NO G-40(SC)P/MISC 94 DATED 24-02-1999.
10. ALL DIMENSIONS ARE IN MTRS.
11. SB= SAND BUCKETS10 NO AS PER EXPLOSIVE RULES.
12. FE= FIRE EXTINGUISHER'S 10 NO AS PER EXPLOSIVE RULES.
13. TANK SHOULD BE GIVEN HYDRULIC PRESSIRETEST TO BEFORE INSTALLATION AND BEFORE ANY PEROTECTIVE COATING IS APPLIED.THE TEST SHOULD BE MENTION AT A CONTROLL PRESSURE OF 0.36 KG/CM2 FOR TWO HOURS.
14. DIP ROAD SUPPLIED WITH THE TANK FOR THIS TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 3280 LONG.
15. FEBRICATION THICKNESS OF TANK SHELL PLATES AND END PLATES - 20KL- SHELL- 6MM, END- 8MM
16. TANK CONFORM TO CLAUSE 124,125&131 OF PETROLEUM RULES 2002.
17. ALL LIGHT POLES FITTED AS PER APPROVELS OF CCOE NAGPUR VIDE LETTER NO-PLIII(MB-1)DATED 25.11.03.
18. NATURAL DOWN SLOPE FROM EDGE OF THE ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WILL BE MENTION FREE FLOW OF WATER TOWARDS DRAIN.
19. SITES MEETS APPLICABLEAS PER IRC NORMS 1983 WITH LATEST AMMENDMENTS.
20. E.V= EXTENDED VENT PIPE.
21. E.F= EXTENDED FILL POINT.
22. NO HIGH TENSION LINE IS PASSING OVER THE SITE.
23. THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO MCASE IS PENDING IN ANY COURT OF LAW.
24. ALL NECESSARY APPROVALS FROM CONCERN DEPARTMENT TO BE OBTAINED.

Name Of Ro:-

ESSAR ENERGY — Essar Oil Limited

LOCATION:-

REG. NO.:-UP-W-1623

DRAWING NO-EOL/RO/696/15 DT-30.01.15

SUBJECT:- LAYOUT & SITE PLAN OF PROPOSED RETAIL OUTLET ON PILIBHIT - BAREILLY - MATHURA - BHARATPUR (SH-33) ROAD, AT KHASRA NO. 165 KA & 166, VILLAGE NAGLA SHISHAM, TEHSIL HATHRAS, DISTRICT HATHRAS.

DATE	REVISION	Scale- As Shown Above

For ESSAR ENERGY LIMITED

NITIN JAISWAL, Territory Sales Manager, Essar Oil Limited

AUTH. SINGNATORY